भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2029

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत खजुराहो में पेयजल उपलब्धता

†2029. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रत्येक परिवार को नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (हर घर जल) लागू कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों तथा खजुराहो नगर में उक्त मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक जिले में सक्रिय और बंद पड़े घरेलू नल कनेक्शनों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत स्रोत स्थिरता उपाय, भू-जल पुनर्भरण प्रयास तथा स्थानीय स्तर पर स्थापित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रणालियाँ क्या हैं;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र में इस मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं या जलापूर्ति अनियमित है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों सहित निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) इन जिलों में लघु कृषक परिवारों, मज़दूर कॉलोनियों तथा स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विश्वसनीय जलापूर्ति को प्राथमिकता देने की योजना क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ) गांवों में रहने वाले लोगों की अपने घरों में पाइपगत जलापूर्ति की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है, ताकि मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो लोक सभा क्षेत्र में कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो नगर सहित देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार और गांवों की सार्वजनिक संस्थाओं जैसे कि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाएं (आदिवासी आवासीय विद्यालय), स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत भवन आदि में नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 02.12.2025 तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत, लगभग 12.52 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.37%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इसके अलावा, *अन्य बातों के साथ-साथ,* कटनी, पन्ना और खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड पर निम्न लिंक पर देखी जा सकती है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लगभग पूरे केंद्रीय हिस्से का उपयोग किया जा चुका है। अब तक हुई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को कुल वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जेजेएम के तहत, *अन्य बातों के साथ-साथ,* भूजल (खुले कुएं, बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि), प्राचीन और पारंपरिक सतही जल (नदी, जलाशय, झील, तालाब, झरने, आदि) और छोटे टैंकों में संग्रहीत वर्षा जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति योजनाओं के स्रोत के रूप में किया जा रहा है।

तदनुसार राज्यों को मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की आयोजना, वित्तपोषण, कार्य-निष्पादन और

रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, जेजेएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन के 2% तक का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* विभिन्न स्तरों पर मौजूदा जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन, प्रयोगशालाओं को रसायन तथा उपभोज्य वस्तुएं प्रदान करना, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों/अभिकर्मकों, कांच के बर्तनों, उपभोज्य सामग्रियों की खरीद, जमीनी स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) की खरीद आदि शामिल है। इसके अलावा, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जल जनित जोखिमों की शीघ्र पहचान करने के लिए स्कूलों, आंगनवाड़ियों और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित क्षेत्र विशिष्ट पैरामीटरों के साथ-साथ सामान्य पैरामीटरों के लिए एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करते हुए जल गुणवत्ता परीक्षण करें। राज्य को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए स्थानीय समुदाय की 5 महिलाओं की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करें और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

*****